12

संख्या–1678 /xxviii-5–2011–02/2004

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5

देहरादून, दिनांक 27 जुलाई 2011

विषयः वित्तीय वर्ष 2011–12 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी के निर्माणाधीन भवन के पुनरीक्षित आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 256/XXVIII(3)-2004-02/2004 दि0 26.02.05 एवं आपके पत्र सं0–7प/1/सी0एच0सी0 /63/2003/31024 दि0 07.07.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी के निर्माणाधीन भवन हेतु ₹ 339.97 लाख के पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि ₹ 315.25 लाख (रूपये तीन करोड़ पन्द्रह लाख पच्चीस हजार मात्र) पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना हेतु पूर्व में अवमुक्त ₹ 158.24 लाख के अतिरिक्त निर्माण कार्यों को अनवरत बनाये रखने जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में रू0 25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :–

1– धनराशि तत्काल आहरित कर इकाई प्रभारी, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, नई टिहरी को शीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृति सम्बन्धी मूल शासनादेश की सभी शर्ते यथावत् रहेंगी ।

2– आगणन में उल्लिखित दरें केवल आगणन गठित के लिये ही अनुमन्य है। कार्य कराने से पूर्व दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

3– उक्त कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

4– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाये।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत प्राप्त करना आवश्यक होगा।

.....2

7– स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 209/XXVII(1)/2011 दिनाक, 31.03.2011 में उल्लिखित दिशा–निर्देशानुसार अनुसार किया जायेगा।

8– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

9– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।

10– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य करते समय अथवा आगणन गठित करते समय कडाई से पालन करने का कष्ट करें।

11– सामग्री कय व निर्माण कार्य हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय–व्ययक वर्ष 2011–12 के अनुदान सं0–12 लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, आयोजनागत 02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, 104–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 03–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना 0302–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (विस्तार अंश) 24–वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

13– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0– 111(P)/XXVII(3) /2011-12 दिनांक 22 जुलाई 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव,

संख्या-1078 (1)/XXVIII-5-2011-02/2004 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
3. अपर सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन ।
4. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
7. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
8. इकाई प्रभारी, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, नई टिहरी ।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
11. मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून ।
12. गार्ड फाईल।

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव,